न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 196/2020
3. उनवान : सरकार जरिये डॉ. प्रवीण कुमार, जिला रसद अधिकारी प्रथम
   बनाम
   श्रीमती शकुन्तला देवी, उचित मूल्य दुकान संख्या 296, अल्कापुरी, विजय नगर, मुरलीपुरा, जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 18.01.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी जिला रसद अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ प्रवीण कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 19.10.2016 को जांच हेतु उचित मूल्य दुकान संख्या 596, अल्कापुरी, विजय नगर, मुरलीपुरा, जयपुर पर पंहुचे। दौराने जांच दुकान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को वितरित किये जाने वाले गेहूं का प्रारम्भिक स्टॉक 1166 किग्रा. था, आमद निल थी एवं 135 किग्रा. गेंहूं की बिक्री हुई थी। इस प्रकार 1031 किग्रा. गेंहू स्टॉक में होना चाहिये था जबकि भौतिक सत्यापन करने पर 1180 किग्रा. गेंहू स्टॉक में पाया गया। इस प्रकार 149 किग्रा गेंहू स्टॉक में अधिक पाया गया। डीलर द्वारा इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इसलिये मौके से स्टॉक में अधिक पाये गये 149 किग्रा. गेंहूं को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त स्टॉक से अधिक गेंहूं ग्राहकों का ही था। अप्रार्थी गेंहू की कालाबाजारी नहीं कर रहा था। इसलिये प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 18.01.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 19.10.2016 को अप्रार्थी की उचित की मूल्य की दुकान मे जांच के दौरान, भौतिक सत्यापन में स्टॉक रजिस्टर से अधिक मात्रा में मिले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को वितरित किये जाने वाले गेहूं को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को कम तोल कर या पात्र व्यक्तियों को वितरण नहीं कर कालाबाजारी की नियत से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं बचाकर रखा गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त 149 किग्रा गेंहू को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर